

Form NO III

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

दलीप

बनाम

सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट प्रकरण स0— /2017

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज  | नम्बर व तारीख |
|------------|--|---------------|
| 20.08.2018 | <p>प्रार्थी दलीप पुत्र मालाराम ने निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 205/207 के खसरा न0 476/1 की 3.4010 हैक् व खसरा न0 484/3 की 0.1170 हैक् कुल 3.5180 हैक् भूमि प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदार दर्ज है किन्तु सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दीपाराम पुत्र मालाराम दर्ज हो गया है प्रार्थी का सही नाम दलीप कुमार पुत्र मालाराम है प्रार्थी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।</p> <p>प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नोहर से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 205/207 में दीप पुत्र मालाराम के नाम से भूमि दर्ज है एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड , मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम दलीप कुमार पुत्र मालाराम दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत सोनडी के अनुसार भी प्रार्थी का सही नाम दलीप कुमार पुत्र मालाराम है इसलिये प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दीपाराम के स्थान पर दीपाराम उर्फ दलीप कुमार संशोधन किया जाना उचित है।</p> <p>अतः तहसीलदार नोहर की अभिप्रेषा एवं सांक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 205/207 में प्रार्थी का नाम दीपाराम के स्थान पर दीपाराम उर्फ दलीप कुमार संशोधन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।</p> <p>आदेश आज दिनांक को मर द्वारा लिखाया जाकर सरईजलास सुनाया गया।</p> |               |

A4